भारत सरकार
स्वासथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110108

दिनांक 25 जुलाई, 2013

सं.एस. 11011/13/2012- सीजीएचएस (पी)

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: सीजीएचएस लाभार्थी के स्थायी रूप से विकलांग निर्भर भाई के लिए सीजीएचएस सुविधाओं को प्रदान करते के संबंध में।

अध्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के निर्भर भाई वर्तमान में वयस्क होने की आयु तक सीजीएचएस में शामिल होने का हकदार है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विकलांग निर्भर भाई के मामले में ऊपरी आयु सीमा के लिए सीजीएचएस लाभार्थियों से अनुरोध पत्र प्राप्त कर रहा है ताकि उन्हें बिना किसी आयु सीमा के बगैर सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान किया जा सके, जैसाकि सीजीएचएस लाभार्थी के विकलांग निर्भर पुत्र को दिया गया है।

2. तदनुसार, कठिनाईयों को कम करने की दृष्टि से, सीजीएचएस लाभार्थी के स्थायी रूप से विकलांग निर्भर भाई को बिना किसी आयु सीमा के सीजीएचएस सुविधाओं में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

3. इस प्रावधान के तहत सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, सीजीएचएस लाभार्थी के स्थायीरूप से विकलांग निर्भर भाई को धारा 2 (i) ''विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995,(1996 का सं.1) में परिभाषित एक अथवा एक से अधिक विकलांगता से पीडित होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित

(i) अंध्यापन (ii) कम दृष्टि

(iii) कुष्ठ (iv) बधिरता

(v) लोको मोटर विकलांगता (vi) सामान्य विकास में कमी

(vii) मानसिक रोग

और आटिज्म, मास्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का सं.44) की धारा 2 के खंड (i) के अनुसार, जिसमें वर्तमान में

ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता अथवा दो अथवा दो से अधिक बीमारियों से पीडित व्यक्ति तथा गंभीर बहुविक्लांगता से पीडित व्यक्ति शामिल हैं, से पीडित होना चाहिए।

4. सीजीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए स्थायी रूप से विकलांग निर्भर भाई के लिए योग्यता के मानदंड निम्नानुसार होगा:

(क) उसे प्रमुख सीजीएचएस कार्ड धारक लाभार्थी पर पूर्ण रूप से निर्भर होना चाहिए।

(ख) उसे अविवाहित होना चाहिए तथा उसका अपना परिवार नहीं होना चाहिए।

(ग) निर्भरता स्पष्ट करने के लिए आयु सीमा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित और लागू करने के समय सीजीएचएस हेतु उपयुक्त आय होनी चाहिए।

(घ) वह साधारणतया प्रमुख सीजीएचएस कार्डधारक लाभार्थी के साथ रहता हो।

(ङ) सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उपर्युक्त सभी शर्त पूरा होना चाहिए। उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन होने पर सीजीएचएस सुविधाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

5. कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से लागू होगा।

संलग्नक: यथोपरि

(वीपी सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, निर्माण भवन, नई दिल्ली
3. अपर निदेशक (मुख्यालय), सजीएचएस, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
4. अपर उप महानिदेशक /स्वा. एवं.प.क. मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली
5. दिल्ली के बाहर से जीएचएस शहर के सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक
6. अपर निदेशक (द.क्षे.)/कें.क्षे.)/(पू.क्षे.)/(उ.क्षे.), सीजीएचएस, नई दिल्ली
7. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)/संयुक्त निदेशक (ग्रे)/संयुक्त निदेशक (आर एंड एच), सीजीएचएस, नई दिल्ली
8. सीजीएचएस प्रथम/द्वितीयक/तृतीयक/चतुर्थ, सीजीएचएस निदेशालय निर्माण भवन,नई दिल्ली
9. स्था.I/स्था.II/स्था.III/स्था IV अनुभाग, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन

10. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रशा.। एवं ।। अनुभाग
11. राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय
12. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
13. पंजीयक, भारत के उच्चतम न्यायालय
14. संघ लोक सेवा आयोग धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
15. एकीकृत वित्त प्रभाग स्वा. एवं प.क. मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
16. उप सचिव (सिविल सेवा समाचार) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, 5वीं मंजिल, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
17. सचिव, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)/सचिव (आयुष)/सचिव (एचआर)/सचिव (एड्स नियंत्रण), केपीपीएस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
18. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के/एसएस(एच) अपर सचिव एवं महानिदेशक (सीजीएचएस/अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, एनआरएचएम के प्रधान निजी सचिव।
19. श्री उमरावलमल पुरोहित,सचिव, स्टाफ साइड, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
20. राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) (संलग्न सूची के अनुसार) के सभी स्टाफ साइड सदस्य।
21. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
22. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी स्वा. एवं प.क. मंत्रालय, निर्मण भवन, नई दिल्ली। सीजीएचएस वेबसाइट पर इस का.ज्ञा. को अपलोड करने के लिए।
23. गार्ड फाइल।